

अधिष्ठाता, कृषि संकाय  
जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक / अ.कृ.सं. / 2021 / 7122  
प्रति,

दिनांक 10 / 02 / 2021

कुलसचिव,  
जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय  
जबलपुर

विषय :- अशैक्षणिक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति की जानकारी  
बावत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक स्था.दो/बी/246/95 दिनांक 08/02/2021

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख्य है कि अशैक्षणिक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति की जानकारी के संबंध में इस कार्यालय की ओर आपके कार्यालय से प्रेषित पत्रानुसार इस कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर आपकी ओर उचित कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्न : 04

अधिष्ठाता, कृषि संकाय

## फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री नीलेश कुमार कोरी 2 वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड तीन कृषि संकाय कार्यालय, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर
3. वर्तमान वेतन रु 20700/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01.07.2020 काल्पनिक

उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला जबलपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

- जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम 1959 के नियम 18 3 के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दे ।

हस्ताक्षर :- 

नाम:- श्री नीलेश कुमार कोरी

पद:- सहायक ग्रेड तीन

## फार्म

### प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

2. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री उग्र सेन 2 वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड तीन कृषि संकाय कार्यालय, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर

3. वर्तमान वेतन रु.29400/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01.07.2020 काल्पनिक

उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला जबलपुर	गृह निवास सुभाषचंद्र बोस बार्ड कं. 42 संजय नगर अधरताल जबलपुर	निरंक	रु. 4,00,000/- चार लाख रुपया मात्र	श्रीमती सितराजू सेन (मां)	नज़ूर द्वारा शासकीय पट्टा दिया गया	निरंक	निरंक

- जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम 1959 के नियम 18 3 के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दे ।

हस्ताक्षर :-  - 10.02.2021

नाम:- श्री उग्र सेन

पद:- सहायक ग्रेड तीन

## फार्म


प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

- अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री एन. के. शुक्ला 2 वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड - 2 कृषि संकाय कार्यालय, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर
- वर्तमान वेतन रु. 46700/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1. 7. 2020 काल्पनिक

उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला जबलपुर	(ग्रह निवास) हाउसिंग बोर्ड कालोनी कंटंगी रोड जबलपुर	म.प्र. ग्रह निर्माण मण्डल	रु.15,00,000 (पन्द्रह लाख)	स्वयं	बैंक द्वारा लोन लेकर वर्ष 2002 में म.प्र. ग्रह निर्माण मण्डल, जबलपुर से खरीदा गया है	स्वयं निवासरत	निरंक

- जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम 1959 के नियम 18 3 के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दे ।

हस्ताक्षर :- 

नाम:- श्री एन. के. शुक्ला

पद:- सहायक ग्रेड -2

## फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री नितिन कुमार कोष्टा 2 वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड तीन कृषि संकाय कार्यालय, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर

3. वर्तमान वेतन रु. 20700/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01.07.2020 काल्पनिक

उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला जबलपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

- जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम 1959 के नियम 18 3 के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दे ।

हस्ताक्षर :-

नाम:- श्री नितिन कुमार कोष्टा

पद:- सहायक ग्रेड तीन